कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

दिनांकः– 15-07-2021

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2021 / 6128

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :– Mahi Banswara Atomic power project (MBRAPP)- 1to4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत् (FP/RJ/Others/22621/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) मुबई, महाराष्ट्र द्वारा जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति छोटी सरवन के अन्तर्गत Mahi Banswara Atomic power project (MBRAPP)- 1 to 4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Others/22621/2016 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर, बॉसवाडा के आदेश क्रमांक 4023 दिनांक 20.12.2017 से ग्राम कालाखेत, तहसील छोटी सरवन के सर्वे नम्बर 255 में 24.75 है. NFL क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गयी थी, जो अतिक्रमण युक्त होने से इस कार्यालय द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी थी। इसके अलावा जिला कलक्टर, बॉसवाडा के एक अन्य आदेश क्रमांक 1349–54 दिनांक 03.04.2017 व 1104 दिनांक 21.12.2018 से ग्राम भुराकुंआ, तहसील सज्जनगढ के विभिन्न खसराओं में कुल 101.89 है. NFL क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गयी थी। इस भूमि का क्षेत्रीय वन अधिकारी, डूंगरा के द्वारा मौका निरीक्षण करवाये जाने पर क्षेत्रीय के पत्रांक 255 दिनांक 08.03.2019 (प्रति संलग्न) के अनुसार यह भूमि वास्तव में वनखण्ड भुराकुंआ ईटाला पार्ट–बी की पूर्व से घोषित रक्षित वन भूमि होना पाया गया था। इस कारण से प्रकरण में जिला कलक्टर, बॉसवाडा के द्वारा वन विभाग हेतु आरक्षित की गयी भूमि के स्थान पर पर अन्यत्र उपयुक्त NFL आरक्षण करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1839–45 दिनांक 26.03.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा यूजर एजेन्सी को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में इस कार्यालय के निर्देशानुसार अन्यत्र उपयुक्त गैर वन भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित करवाने बाबत् यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 42 दिनांक 02.04.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा जिला कलक्टर, बॉसवाडा को निवेदन करने पर जिला कलक्टर, बॉसवाडा के पत्रांक 339 दिनांक 13.04.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा पूर्व में उनके आदेश दिनांक 03.04.2017 एवं 21.12.2018 को यथावत् रखते हुए अन्यत्र NFL आरक्षण /आवंटन नहीं करने हेतु इस कार्यालय को सूचित किया गया एवं साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि रिकार्ड में ईन्द्राज दुरस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जावे।

जिला कलक्टर, बॉसवाडा से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय द्वारा न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ में नियमानुसार वाद दायर किया गया एवं प्रकरण में विभाग द्वारा प्रस्तुत किये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में यह उल्लेख करते हुए निर्णय दिनांक 30.09.2019 (प्रति संलग्न) पारित किया गया की जिला कलक्टर, बॉसवाडा के आदेश दिनांक 03.04.2017 व दिनांक 21.12.2018 से वन विभाग हेतु आरक्षित की गयी NFL वास्तव में पूर्व से घोषित रक्षित वन भूमि होने के कारण राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार ईन्द्राज दुरस्ती की जावे।

उपरोक्तानुसार न्यायालय के द्वारा विभाग के पक्ष निर्णय परित करने के उपरान्त प्रकरण में NFL आरक्षित करने हेतु जिला कलक्टर, बॉसवाडा के आदेश क्रमांक 1185 दिनांक 19.11.2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा संशोधित NFL आरक्षण आदेश जारी किया गया। जिला कलक्टर, बॉसवाडा के इस संशोधित आदेश से आरक्षित की गयी NFL का मौका निरीक्षण करने हेतु सहायक वन संरक्षक, कुशलगढ को इस कार्यालय के पत्रांक 4475–77 दिनांक 06.08.2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सहायक वन संरक्षक, कुशलगढ द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी तथ्यात्मक मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.09.2020 (प्रति संलग्न) के अनुसार यह NFL भी विभिन्न कारणों से वन विभाग हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।

Scanned by CamScanner

2800 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के नाभिकीय उर्जा संयत्र निर्माण की यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की एक अत्यन्त महत्वकांक्षी परियोजना है, जिसके निर्माण से राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत आपुर्ति से आम जन एवं कई उद्योग/कारखाने लाभान्वित होंगे, किन्तु NFL की अनुपलब्धता के कारण परियोजना के निर्माण में हो रहे अनावश्यक विलम्ब एवं परियोजना की लागत में कई गुना वृद्वी को देखते हुए FCA Handbook (Guidelines & Clarifications) के Part B Chapter 1 Point 2.3 Land For CA (प्रति संलग्न) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के इस प्रकरण में समतुल्य गैर वन भूमि के स्थान पर रेंज घाटोल के अन्तर्गत वनखण्ड जगमेर जोगीमाल पार्ट–A में दुगनी अवनत 200.10 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कि गयी है, जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

उक्त प्रस्ताव में पाई गई कमियों कि पुर्ति यूज़र एजेंसी से करवाने के उपरान्त प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से आवश्यक समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का श्रीमान् स्वयं द्वारा भी दिनांक 08.06.2021 को मौका निरिक्षण कर लिया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए./उवसं/2021/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,राजस्थान, जयपुर।
2. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, बॉसवाडा को भेजकर लेख है कि बगैर सक्षम स्वीकृति एवं बगैर इस कार्यालय की अनुमति के वन भूमि में किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियां प्रारंभ नहीं करवाया जाना आपके स्तर से सुनिश्ति करावें।
3. वरिष्ठ अधिशासी अभियंता, NPCIL, बॉसवाडा।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner